

भारत सरकार
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003



Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Pr. Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla 171003

परिपत्र

यात्रा भत्ता अग्रिम/यात्रा भत्ता दावों की जांच में निदेशक निरीक्षण ने अग्रिम का समायोजन/ यात्रा भत्ता दावों को बिलम्ब से प्रस्तुत करने पर कमिया इंगित की है जबकि नियमानुसार इनका समायोजन अवधि यात्रा भत्ता अग्रिम में यात्रा समाप्ति करने के 15 दिन व साधारण यात्रा भत्ता दावा में दौरा समाप्ति के 60 दिन के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः सभी स्कन्धों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त नियम का पालन करते हुए अपने यात्रा भत्ता अग्रिम का समायोजन व यात्रा भत्ता दावा समय पर प्रस्तुत करें अन्यथा यात्रा भत्ता दावों को कालातीत माना जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

प्राधिकारी: व० उप- महालेखाकार के आदेश दिनांकित:

07-05-2024

व. ले. प. अ. (हकदारी)

संख्या: प्रशासन/ले०प०/ यात्रा भत्ता/2024-25/197-201

दिनांक:- 07-05-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवम आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित की जाती है।

Secretary to PAG

1. PA to DAG (Admn.)
2. PA to DAG, AMG-I, II, III
3. IT-Section for Uploading on office website
4. Notice Board
5. All employees through common office e-mailer

व. ले. प. अ. (हकदारी)